

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0035 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 23/12/2025 20:15 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/12/2025 Time (समय): 19:40 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 23/12/2025 19:53 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 55 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): गाँव पटटीकल्याणा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नियामत

(b) Father's Name (पिताका नाम): ईस्माइल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):



Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव मुण्डैता, PINANGWA, NUH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव मुण्डैता, PINANGWA, NUH, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9588108022

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हवलदार चांद			1. एंटी नारकोटिक सैल CIA समालखा, PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	हवलदार सुरेंद्र			1. एंटी नारकोटिक सैल CIA समालखा, PANIPAT, HARYANA, INDIA
3	ASI सुनिल			1. एंटी नारकोटिक सैल CIA समालखा, PANIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, इंस्पेक्टर साहब, विजीलैन्स करनाल श्रीमान जी, निवेदन है की मैं नियामत पुत्र इसमाईल वासी गांव मुण्डैता



थाना पिनगवा जिला नूह मेवात का रहने वाला हूँ मेरा जीजा अरसद पुत्र रमजान गाँव मालव थाना आकेडा जिला नूह मेवात का रहने वाला है जो प्रोपर्टी डीलर का काम करता है। कुछ दिन पहले मेरे जीजा के गाँव भालव में समालखा पानीपत से एंटी नारकोटिक्स सैल सी आई ए से हवलदार चाँद ASI सुनिल व हवलदार सुरेंद्र जो कि सिविल कपड़ों में थे आये थे जो उस दिन मेरा जीजा किसी काम से बाहर गया हुआ था जिसके बाद ये सभी पुलिस वाले गाँव भालव के सरपंच घर पर गये। जिन्होंने सरपंच को बताया की तेरे गाँव के अरशद पुत्र रमजान व जमील उर्फ जम्मी का हमारे पास किसी मुकदमे में नाम आया है। जो उस दिन इन पुलिस वालों को जमील उर्फ जम्मी गाँव में ही मिला था। उपरोक्त पुलिस वालों ने जमील उर्फ जम्मी को बतलाया के हमने एक नशीले पदार्थ सहित कैंटर समालखा पानीपत में पकड़ा है उस कैंटर की फर्जी आर सी बनी हुई है। जिसके सम्बन्ध में फर्जी आर सी बनाने वाला जुनेद उर्फ जुन्ना वासी उंटका जिला नूह मेवात को मुकदमा में गिरफ्तार किया है जिसने पुछताछ के दौरान आपका व अरसद पुत्र रमजान का नाम भी फर्जी आर सी बनाने में बतलाया था। जिसके बाद उपरोक्त पुलिस वाले जमील उर्फ जम्मी को अरसद के साथ एंटी नारकोटिक्स सैल समालखा पानीपत में आने के लिये बोलकर हवलदार सुरेंद्र का मोबाईल नम्बर 86070-00064 देकर चले गये जिस बारे जमील उर्फ जम्मी ने मेरे जीजा अरसद को बतलाया। मेरे जीजा अरसद ने इस बारे मुझे बतलाया जिस पर मैंने अपने मोबाईल नम्बर से उपरोक्त मोबाईल नम्बर 86070-00064 पर वॉट्सअप कॉल करके पुछा की आप कौन से स्टाफ से बोल रहे हो जिसने अपना नाम हवलदार सुरेंद्र एंटी नारकोटिक्स सैल सी आई ए समालखा पानीपत बतलाया। जिसके बाद एंटी नारकोटिक्स सैल समालखा में गया और मैंने हवलदार सुरेंद्र के उपरोक्त नम्बर पर फोन किया। जिसने मुझे बतलाया की मैं किसी काम से बाहर हूँ आप स्टाफ में चाँद वे ASI सुनिल से मिल लो। जिस पर मैं स्टाफ में ASI सुनिल से मिला जिन्होंने कहा कि हमारी हवलदार सुरेंद्र से बात हो गई है। मैंने उनसे अपने जीजा अरसद के केस बारे में बातचीत की तो वे दोनों कहने लगे की तेरा जीजा मुकदमा में आरोपी है अगर तेरे को अपने जीजा अरसद के नाम को मुकदमा में से कटवाना है तो तुझे मुझे रिश्त के तौर पर पैसे देने होंगे। जिस पर मैंने कहा की इस काम के लिए कितने पैसे रिश्त के लोगे जो उन्होंने कहा की हमारी तीनों की आपस में बात चीत हो गई है इस काम के लिये 6 लाख रुपये रिश्त के देने पड़ेंगे जिस पर मैंने कहा की सर ये रिश्त ज्यादा है कुछ कम कर लो जिस पर उन्होंने कहा की तेरे जीजा का मुकदमा से नाम हटाने के लिये कम से कम 2 लाख रु देने पड़ेंगे और कहने लगे की इस मुकदमे में तेरे जीजा अरसद के अलावा जमील उर्फ जम्मी व आरिफ वासी सोंख जिला नूह मेवात का भी नाम है। अगर तेरे जानकर है तो इनसे भी बात चीत कर लेना उनके मुकदमे से नाम कटवाने के लिये 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के रिश्त के तौर पर लगेगे। जिसके बाद मैंने 2 लाख रु में से 1 लाख रुपये जिसमें 40 हजार रुपये हवलदार चाँद, 40 हजार रुपये ASI सुनिल व 20 हजार रु हवलदार सुरेंद्र को दे दिये हैं बाकी के 1 लाख रुपये रिश्त राशि लेकर हवलदार चाँद ASI सुनिल व हवलदार सुरेंद्र ने मुझे आज बुलाया है। मैं इनको रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता हूँ। जो मैं इनको रिश्त राशि सहित रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जाये। मैंने इनके द्वारा मेरे से रिश्त मागने कि रिकार्डिंग भी कि हुई है जिसको मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा।

NIYAMAT नियामत पुत्र इसमाईल वासी गाँव मुण्डैता थाना पिनगवा जिला नूह 9588108022



कार्यवाही पुलिस:- जय हिन्द सर, आज मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी निरीक्षक प्रवीन कुमारी, उप निरीक्षक जयपाल सिंह न0 512/करनाल, उप निरीक्षक अरविन्द्र कुमार न0 1274/करनाल, उप निरीक्षक निर्मल सिंह न0 961/करनाल, उप निरीक्षक सतपाल न0 197/ करनाल, सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र न0 5/247 HAP, सहायक उप निरीक्षक सुबे सिंह न0 242/अम्बाला, ई0मुख्य सिपाही न0 624/अम्बाला बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR 03 GV4723 जिसका चालक मुख्य सिपाही प्रवीन कुमार न0 469/करनाल मय प्राईवेट गाडी के बराये विजिलेंस ड्यूटी पट्टी कल्याणा जी.टी. रोड पानीपत मौजूद हूँ कि शिकायतकर्ता नियामत पुत्र श्री ईस्माईल वासी गाँव मुडैत जिला नूह बजरिया फोन सम्पर्क करके मुलाकी हुआ जिसने हालात रेड बारे मन निरीक्षक को अवगत करवाकर एक लिखित शिकायत बाबत माँगने रिश्त राशि एक लाख रुपये बर खिलाफ मुख्य सिपाही चाँद राम, मुख्य सिपाही सुरेन्द्र, ASI सुनील कुमार नारकोटिक्स सैल/ CIA समालखा अनाजमण्डी, पानीपत व साथ में एक लाख रुपये रिश्त राशि पेश की है। मन निरीक्षक ने इस बारे में पुलिस अधिक्षक महोदय को बजरिया फोन हालात रेड बारे अवगत करवाकर अनुमति रेड करने बारे ली गई व रेडिंग पार्टी के साथ स्वतन्त्र गवाह व छाया गवाह नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया जिस पर पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करते हुए छाया गवाह स्वतन्त्र गवाह के द्वारा खुद के स्तर पर लाने बारे आदेश जारी किए गए। जो मन निरीक्षक द्वारा बजरिया फोन राजपत्रित गवाह से सम्पर्क करके साथ में बतौर छाया गवाह एक

कर्मचारी साथ लेकर मौका पर पहुंचने बारे आग्रह किया। जो दरखास्त उपरोक्त से जुर्म जेर धारा 7 PC Act, 61(2) BNS का घटित होना पाये जाने पर तहरीर लिखकर बदस्त उप निरीक्षक जयपाल न0 512/करनाल के अरसाल थाना है बाद करने दर्ज अभियोग मुकदमा न0 से सूचित किया जावे और अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट उच्च अधिकारीयो व ईलाका मैजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक साथी कर्मचारियो की सहायता से शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई रिश्त राशि कि लाख रुपये की करन्सी नो सूचि तैयार करने में मशरूफ होता हूँ। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिन्टर गाडी में पहले से मौजूद है। अज:- नजदीक गाँव पटटीकल्याणा NH-44 G.T Road पानीपत Sd/- Deepak Kumar निरीक्षक (दीपक कुमार) रा0स0एवं भ0 नि0 ब्यू0 करनाल दिनांक 23-12-25 At 3-50 PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 35 दिनांक 23.12.2025 धारा 7 PC Act, 1988, 61(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा SI जयपाल न0 512/करनाल के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह न0 270/KR थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): DEEPAK Rank (पद): I (Inspector) KUMAR

No. (सं.): 875 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bijender Singh

Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)



Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 270 KR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.